न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 766–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–3–15 पारित द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 396/बी–121/2013–14.

—

श्रीमती कीर्ति द्विवेदी पत्नी श्री रवि द्विवेदी,
निवासी 75 सिंधी कॉलोनी लश्कर
जिला ग्वालियर

.....आवेदिका

विरूद्ध

1–मुंशी सिंह पुत्र श्री बाबूसिंह
2–बबलू उर्फ बृजेश पुत्र श्री बाबूसिंह
निवासी गण ग्राम गुढा परगना व जिला ग्वालियर
3–जीतेन्द्र शिवहरे पुत्र श्री प्रेमबाबू शिवहरे
निवासी गाढवे की गोठ डॉ धौंडे के पास, लाला का बाजर,
लश्कर ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री एन.डी.शर्मा, अभिभाषक, आवेदिका
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/12/2015 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 26–3–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर के समक्ष उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 125 एवं 126 का सीमांकन अधीक्षक, भू–अभिलेख से कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा दिनांक 5–7–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अधीक्षक, भू–अभिलेख को सीमांकन कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई । कलेक्टर के आदेश के पालन में अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा सीमांकन दल का गठन किया गया । सीमांकन दल द्वारा सीमांकन हेतु दिनांक 30–9–2014 की तिथि नियत की गई । सीमांकन के समय अनावेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर सीमांकन दल द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु आवेदन कलेक्टर जिला ग्वालियर के समक्ष पेश किया गया । कलेक्टर द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये दिनांक 26–3–15 को आदेश पारित कर आवेदिका का का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर के समक्ष अनावेदकगण द्वारा गलत प्रकरण की जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर आदेश पारित करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि सीमांकन के समय मौके पर अनावेदकगण उपस्थित हुये हैं, अतः कलेक्टर द्वारा उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि सीमांकन में पडोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है क्योंकि अगर अनावेदकगण उपस्थित नहीं होते तो आपत्ति किस प्रकार प्रस्तुत करते। यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा जिस प्रकरण का हवाला कलेक्टर के समक्ष दिया गया है उसकी प्रति पेश नहीं की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर को स्वप्रेरणा से निगरानी के अधिकार नहीं है, अतः कलेक्टर द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख के आदेश को निरस्त करने में पूर्णतः विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में हुये सीमांकन के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 4022–पीबीआर/2012 प्रस्तुत की गई जो कि इस न्यायालय में लंबित है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर द्वारा आदेश में गलत प्रकरण का उल्लेख कर दिये जाने

मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि अनावेदकगण द्वारा गलत प्रकरण की जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर आदेश पारित करने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि सीमांकन का अधिकार स्वयं अधीक्षक, भू–अभिलेख को नहीं है, वह केवल कलेक्टर के आदेश पर ही सीमांकन कर सकते है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा तथ्यों को छिपाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराने का प्रयास किया गया है, अतः कलेक्टर द्वारा आवेदिका के आवेदन पत्र को निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि पूर्व में प्रकरण कमांक 94/2011–12/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 10–9–2012 से आवेदिका की प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन हो चुका है । उक्त सीमांकन आदेश दिनांक 10–9–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 4022–पीबीआर/2012 लंबित है, जिसमें किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित है कि पूर्व में पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी लंबित होने पर नवीन आवेदन पत्र पर पुनः सीमांकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 26–3–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर